उ.प्र. पं. दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

सं. /डीडीयू/आई–ईजी–05/2015 (डी0एल0सी0) दिनांक ,2017

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0 A No. 59240/2016 श्री पूरन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2016 के परिपालन में :–

1. श्री पूरन पुत्र श्री जसराम उर्फ जयराम, निवासी–गॉव व पोस्ट–औरगाबाद (नई बस्ती), जिला–मथुरा ने दिनांक 09.01.2017 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के प्रमाणित प्रति के साथ याचिका उपलब्ध कराते हुए स्थायी नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया है।

2. श्री पूरन के प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2017 पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार विचार करने के लिए एक समिति गठित कर तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण कराया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में श्री पूरन को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समिति ने इनके अनुरोध पर दिनांक 13.02.2017, 15.02.2017 तथा 22.02.2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के पर्याप्त समय प्रदान किये। श्री पूरन ने दिनांक 22.02.2017 को अपना लिखित पक्ष समिति के सम्मुख उपस्थित होकर प्रस्तुत किया तथा समिति के सम्मुख यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है और न अपने पक्ष में अन्य कोई साक्ष्य देना है।

3. समिति की विवेचना एवं निष्कर्ष से विदित होता है कि श्री पूरन पुत्र श्री जसराम उर्फ जयराम अक्टूबर 2003 के अन्तिम सप्ताह से अपनी मर्जी से कार्य छोड़कर चले गये श्री पूरन को विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में तत्समय कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था। अक्टूबर 2003 के अन्तिम सप्ताह से दिनांक 26.08.2016 तक श्री पूरन द्वारा सेवा आदि से सम्बन्धित कोई प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया और न ही कार्य के लिए वह ड्यूटी पर उपस्थित हुए। अक्टूबर 2003 के पूर्व के विगत वर्षों में भी श्री पूरन की उपस्थिति प्रत्येक वर्ष में 240 दिन से कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी दैनिक श्रमिक सेवा की निरन्तरता बाधित है, जिसके लिए श्री पूरन को वर्ष 1990–91 से 2003–04 तक बोनस भी प्राप्त नहीं हुआ था। निरन्तरता बाधित दैनिक श्रमिक विनियमितीकरण/स्थायी नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री पूरन पुत्र श्री जसराम उर्फ जयराम, निवासी–गॉव व पोस्ट–औरंगाबाद (नई बस्ती), जिला–मथुरा का प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2017 पोषणीय नहीं पाया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2016 के अनुपालन में नियमानुसार अन्तिम रुप से निस्तारित किया जाता है।

कुलपति

पृ0सं. 5688 /डीडीयू/आई–ईजी–05/2015 (डी0एल0सी0) दिनांक–उक्त्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री पूरन पुत्र श्री जसराम उर्फ जयराम, निवासी–गॉव व पोस्ट–औरंगाबाद (नई बस्ती), जिला–मथुरा
2. राज्य सरकार द्वारा सचिव शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. कुलसचिव, दुवासू, मथुरा।
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ, दुवासू, मथुरा।
7. सम्पत्ति एवं अनुरक्षण अधिकारी, दुवासू, मथुरा।
8. प्रभारी, ऐरिस सैल को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

Km Pathak

कुलपति 4/3